

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

-----

सी. एम. पी. संख्या 416/2020

-----

1. श्रीमती ललिता जैन, आयु लगभग 59 वर्ष, पति- स्वर्गीय मामराज जैन

2. विकास जैन, आयु लगभग 40 वर्ष

3. राकेश जैन, आयु लगभग 33 वर्ष,

4. विवेक जैन, आयु लगभग 39 वर्ष

2 से 4, सभी स्वर्गीय मामराज जैन के पुत्र तथा मेन रोड, घाटशिला, थाना और डाकघर-घाटशिला, जिला-पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं।

....अपीलार्थीगण/ याचिकाकर्तागण

- बनाम -

1. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह का पुत्र, सुखदेव नगर, पी ओ-जी पी ओ, पीएस-सुखदेव नगर, जिला राँची  
.....उत्तरदाता संख्या 1/ विपक्षी पक्ष संख्या 1

2. अब्दुल रब (अंजुम), अब्दुल रशीद का बेटा, क्रॉस रोड नंबर 1, हाउस नंबर 15, आजाद नगर, मानगो, पीओ और पीएस मानगो, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम.

.....प्रोफोर्मा उत्तरदाता/ प्रोफोर्मा विपक्षी पक्ष संख्या 2

-----

कोरम माननीय न्यायाधीश श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए:-श्री ए. के. साहनी, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष संख्या 1 के लिए श्री राहुल कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

-----

4/12.02.2021 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री ए. के. साहनी और प्रत्यर्थी/विपक्षी पक्ष संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वत वकील श्री राहुल कुमार गुप्ता को सुना।

इस सी एम पी याचिका को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

एफ. ए. संख्या 295/2019 की बहाली के लिए यह सी एम पी दायर की गई है। उक्त एफ ए की बहाली के लिए इस सी एम पी दाखिल करने में 249 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आईए संख्या 6349/2020 दाखिल की गई है, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील श्री साहनी ने कहा कि अनजाने में उनके कार्यालय ने आदेश पर ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि देरी हुई है और यह पता चला है कि इसे 19 दिसंबर 2019 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया है और तत्काल कदम उठाया गया है और सी एम पी दायर कर दिया गया है।

नोटिस के अनुसरण में, श्री राहुल कुमार गुप्ता, विरोधी पार्टी नं. १ की ओर से विद्वत वकील पहले ही पेश हो चुके हैं और वह निवेदन करते हैं कि २४९ दिनों का अत्यधिक विलंब हुआ है और याची की गलती के कारण, मामला खारिज कर दिया गया है। सी एम पी में कोई योग्यता नहीं है। विरोधी पक्ष संख्या 2 पर नोटिस प्रभावी हो गया है।

पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि सी एम पी दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बनाए गए हैं और तदनुसार, सी एम पी दाखिल करने में 249 दिनों की देरी माफ की जाती है।

2020 की आईए संख्या 6349 की अनुमति दी गई है और उसका निपटारा कर दिया गया है।

यह सीएमपी एफ. ए. संख्या 295/2019 की बहाली के लिए दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 19 दिसंबर, 2019 को अनुल्घनीय आदेश जारी किया गया था और उस आदेश का अनुपालन न करने के कारण उक्त एफ. ए. को खारिज कर दिया गया था।

श्री साहनी के निवेदन को ध्यान में रखते हुए, याची के विद्वत वकील ने कहा कि असावधानी के कारण उसके कार्यालय ने आदेश पर ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि कथित एफ. ए. को खारिज कर दिया गया था, न्यायालय को उक्त एफ. ए. को बहाल करने के लिए पर्याप्त कारण है।

तदनुसार, एफ. ए. संख्या 295/2019 को उसके मूल संचिका में बहाल कर दिया गया है।

यह सीएमपी की अनुमति दी जाती है और उसका निपटारा कर दिया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी , न्याया0)

सी/,